# राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

## पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
आर्म्जडेल भवन शिमला -171002

# राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने व् इन्हें सवैंधानिक दर्जा देने के लिए भारतीय संविधान में 73 वां संशोधन किया गया | इस संशोधन के पश्चात् भारतीय संविधान में एक नया भाग '9' सम्मिलित किया गया जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 243 से 243 (O) जोड़ा गया I इस संशोधन की मूल भावना को लागू करने के लिए अधिनियम व् इसके अंतर्गत नियम बनाने हेतु विधायिका को प्राधिकृत किया गया |

भारतीय लोकतंत्र की ये निम्नतम इकाइयाँ सही रूप से काम करें, इसके लिए आवश्यक है कि इनके निर्वाचन निष्पक्ष व् निर्भीक रूप से हो | सुचारू व् स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने के लिए जंहा राज्य निर्वाचन आयोग सतत प्रयासरत है, वंहीं दूसरी ओर, आयोग अपेक्षा करता है कि राजनीतिक दल व् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 73वें सवैंधानिक संशोधन की मूलभावना के अनुरूप कार्य करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व् हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में वर्णित प्रावधानों एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गये दिशा निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना करे |

**अत: राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश, जारी करता है । यह दिशा निर्देश केवल आपकी जानकारी व सुविधा के लिए है तथा किसी भी शंका की स्थिति मे मूल अधिनियमों व नियमों का प्रावधान/सन्दर्भ देखा जाए :-**

**अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक की मतदाता सूची में अनिवार्यता**

1. ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना चाहिए तथा प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है जिस वार्ड से अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है |
2. उप-प्रधान/प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए और प्रस्तावक भी उसी ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है जिस ग्राम पंचायत से अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है |
3. पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का नाम उस पंचायत समिति (विकास खंड) के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है जिस वार्ड से अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है |

4. जिला परिषद् सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का नाम उस जिला के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है जिस वार्ड से अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है |

**अभ्यर्थी योग्यता**

5. अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 में वर्णित अहर्ताओं में अयोग्य न हो ।

6. निर्वाचन लडने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष है । नामांकन पत्रों की छंटनी के दिनांक को प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए ।

**वांछित अभिलेख**

7. नामांकन भरते समय / राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित दिनांक को निम्नलिखित वांछित दस्तावेज आपके पास होने अनिवार्य हैं:-

क) जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं या आप प्रतिभूति राशी में छूट चाहते हैं

ख) अनुबंध-I (अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली विनिर्दिष्ट सूचना) राज्य चुनाव की अधिसूचना 16-/21/97-I-123 दिनांक 17-02-2004

ग) न देय (No Dues) प्रमाण पत्र (प्रपत्र-18क)

घ) शपथ पत्र/ घोषणा पत्र (प्रपत्र 18-ख)

8. यदि प्रत्याशी आरक्षित पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो प्रत्याशी द्वारा जाति से सम्बंधित घोषणा की जानी अनिवार्य होती है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 (3) के प्रावधानानुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति का प्रणाम पत्र भी नामांकन पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होता है ।

9. ग्राम पंचायत सदस्य, उप-प्रधान एवं प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए अनुबन्ध-1 शपथ पत्र/ घोषणा पत्र भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है । जबकि पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन लड़ने के लिए यह अनुबन्ध-1, शपथ पत्र/ घोषणा पत्र किसी दण्डाधिकारी या शपथ आयुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है

10. आप ध्यान रखें कि यह शपथ पत्र/ घोषणा पत्र भरते समय इसके सभी भागों को सावधानी से भरा गया हैं | शपथ पत्र/ घोषणा पत्र में की गयी किसी भी झूठी घोषणा से आप निर्वाचन लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं तथा चुनाव जीतने के पश्चात् भी आपको पद से हटाया जा सकता हैं |

**अतिक्रमण के कारण अयोग्यता**

11. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति या उसके परिवार का कोई भी सदस्य (दादा, दादी, माता, पिता, जीवनसाथी, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री सम्मिलित है) जिसने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है ।

**प्रतिभूति राशी**

12. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 अनुसार प्रतिभूति राशि (Security Deposit) निम्न प्रकार से है :-

(क) पंचायत सदस्य का निर्वाचन लड़ने के लिए प्रतिभूति राशि (Security Deposit) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए -100 रुपए है, यदि प्रत्याशी महिला, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है तो यह राशी 50 रुपए है |

(ख-ग) पंचायत समिति सदस्य, प्रधान एवं उप-प्रधान का निर्वाचन लड़ने के लिए प्रतिभूति राशि (Security Deposit) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए -150 रुपए है , यदि प्रत्याशी महिला, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है, तो यह राशी 75 रुपए है |

(घ) जिला परिषद् सदस्य का निर्वाचन लड़ने के लिए प्रतिभूति राशि (Security Deposit) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 200 रुपए है ,

यदि प्रत्याशी महिला, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है तो यह राशी 100 रुपए है |

13. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 81 अनुसार प्रतिभूति राशि वापिस या जब्त करने बारे निम्न प्रावधान है:-

(क) यदि कोई प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक व् समय पर अपना नामांकन वापिस ले लेता है, तो उसे प्रतिभूति राशि तुरंत वापिस देय है |

(ख) यदि किसी प्रत्याशी की मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिभूति राशि अभ्यर्थी के वारिस को वापिस की जाएगी

(ग) जो प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा उसे प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी ।

(घ) यदि किसी पराजित प्रत्याशी को कुल डाले गये वैध मतों का छठा भाग प्राप्त नही होता है तो उस प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी, बाकि सभी प्रत्याशियों की प्रतिभूति राशि वापिस की जाएगी ।

यंहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्रत्याशी कुल डाले गये मतों का छठा भाग या उससे कम मत प्राप्त कर भी विजयी घोषित होता है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी प्रतिभूति राशी वापिस की जाएगी।

14. चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अभ्यर्थी का अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पैदा होता है तो सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा |

**चुनाव चिन्ह**

15. निर्वाचन लड़ने के लिए किसी भी स्थिति में आपकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा | आपको आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव चिन्ह ही आवंटित किया जाएगा |

**निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति**

16. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 अनुसार आप निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय या निर्वाचन से पूर्व कभी भी कर सकते है |

17. हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44 अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट मतदान एजेंट के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जो उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने की योग्यता रखता हो | अत: यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन लड़ने की योग्यता न रखता हो तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन एजेंट भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

18. हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 45 अनुसार कोई भी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन एजेंट, मतगणना एजेंट

के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकत है जो निर्वाचन लड़ने या मतदाता होने के लिए अयोग्य घोषित नही किया गया है |

19. हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 158ड. के अनुसार यदि सरकारी सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी के लिए निर्वाचन/मतदान /मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उस व्यक्ति को तीन माह तक की कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है |

**निर्वाचन व्यय**

20. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 92 अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपए तक व्यय कर सकता है |

21. जिला परिषद् का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव व्यय हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में दिए गये प्ररूप 44 पर तैयार करना होता है तथा प्ररूप 45 एवं 46 पर इसे जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है |

22. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी | यह व्यय पर्यवेक्षक प्ररूप 44 पर तैयार किए गये चुनाव व्यय का निरिक्षण करेंगे |

23. चुनाव् व्यय संधारित करना  हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम अधिनियम, 1994 की धारा-121 ए और 121-बी के अंतर्गत अनिवार्य है । उपरोक्त  अधिनियम की धारा 180 (6-ए) के अंतर्गत  निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना भ्रष्ट आचरण है | इसके अतिरिक्त  उक्त अधिनियम की धारा 122 (1) (खख) के अंतर्गत  भ्रष्ट आचरण एक अयोग्यता भी है तथा  चुनाव जीतने  के पश्चात् भी आपको पद से हटाया जा सकता  हैं |

**आदर्श आचार संहिता की अनुपालना**

24. आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, वंश, सम्प्रदाय, जाति या भाषा के आधार पर लोंगो की भावना को ठेस पहुंचे तथा द्वेष या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो |

**निर्वाचन अपराध**

25. मत प्राप्त करने के लिए रिश्वत देना, अनुचित प्रभाव डालना, जाति, वंश सम्प्रदाय, धर्म या धार्मिक चिन्ह, राष्ट्रीय झंडे या राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग करना एक भ्रष्ट आचरण है | किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध उसके व्यक्तिगत आचरण को लेकर, अधूरे तथ्यों के आधार पर वक्तव्य देना या अभ्यर्थिता वापिस लेने को लेकर झूठा प्रचार करना भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

26. निर्वाचन प्रचार के लिए किसी पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघरों का प्रयोग किसी भी स्थिति में न किया जाए |

27. उम्मीदवार ध्यान रखें कि मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे के पूर्व कोई सार्वजनिक बैठक, जुलूस इत्यादि आयोजित व् संबोधित नहीं किया जा सकता हैं | कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का कृत्य करता है तो यह निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दो वर्षों तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है |

28. उम्मीदवार ध्यान रखें कि मुद्रक या प्रकाशक के नाम व् पते के बिना कोई पोस्टर, पैम्पलेट एवं विज्ञापन मुद्रित नहीं किया जा सकता हैं | यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो यह निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए छः माह तक का कारावास या दो हजार तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है |

29. किसी की निजी या सार्वजनिक सम्पति पर कोई पोस्टर, पैम्फलेट, झंडे एवं विज्ञापन न लगाएं जब तक की सम्पति के मालिक से इसकी अनुमति प्राप्त न हो जाए | अनुमति प्राप्त होने तथा पोस्टर, पैम्फलेट, झंडे एवं विज्ञापन चिपकाने की स्थिति में ध्यान रखे कि चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर इन्हें हटा दिया जाए |

30. यदि कोई भी उम्मीदवार मतदाता या उसके परिवार को मतदान केन्द्र में लाने व् वापिस ले जाने के लिए वाहन किराए पर या अन्यथा उपलब्ध करवाता है तो यह भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है |

31. कोई भी अभ्यर्थी मतदान केंद्र की परिधि के 100 मीटर के दायरे में अपना शिविर नहीं लगाएगा | यदि किसी भवन में एक से अधिक मतदान केंद्र है तो ऐसी स्थिति में भी केवल एक अभ्यर्थी एक ही शिविर लगाएगा ।

32. कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की परिधि के 100 मीटर के दायरे में एक से अधिक वाहन नहीं ले जाएगा |

33. नामांकन भरने के लिए केवल चार व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगें | जिसमें अभ्यर्थी व् प्रस्तावक भी शामिल हैं |

34. सभी उम्मीदवार, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें | आदर्श आचार सहिंता के अधिकतर प्रावधानों का उल्लंघन एक गंभीर निर्वाचन अपराध तथा भ्रष्ट आचरण है तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा ।

35. कोई भी अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नहीं डालेगा जिससे दूसरे अभ्यर्थी की गरिमा या पद की गरिमा को ठेस पहुंचे तथा द्वेष या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो |

36. सोशल मीडिया या अन्य मीडिया में कोई भी अभ्यर्थी असत्यापित या भ्रामक विज्ञापनों को प्रचारित या प्रसारित नहीं करेगा ।

**मतों की बराबरी**

37. यदि मतों की गणना के पश्चात् अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये मत (Vote) बराबर रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में निर्णय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पर्ची डालकर किया जाएगा । जिसके पक्ष में पर्ची निकलेगी उस अभ्यर्थी को विजेता घोषित किया जाएगा ।

**एक से अधिक सीटों पर निर्वाचन**

38. यदि आप एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन लड़ते है तथा आप एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचित होते हैं तो आपको परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर सम्बंधित उपायुक्त को अपने पसंद के किसी एक पद पर रहने की जानकारी देनी होगी तथा अन्य पदों को छोड़ना होगा । यदि आप निर्वाचित होने के 15 दिनों के भीतर उपायुक्त को सूचना नहीं देते है तो आपको उच्च पद पर रहने दिया जाएगा तथा शेष निर्वाचित पदों से आपको अपवर्जित समझा जाएगा ।

उपरोक्त दिशा निर्देश केवल आपको निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जारी किए गये हैं लेकिन यह अपने आप में

सम्पूर्ण नहीं हैं | इनके अतिरिक्त आपको प्रावधान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 199 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों व् आदर्श आचार संहिता का गहन परीक्षण करके परिचित होना है तथा कड़ाई से पालन करना हैं |